प्रथम कार्यकारी परिषद की 9वीं बैठक के कार्यवृत्त

समूह । अनुमोदन अपेक्षित मदें

ई सी : 09:01	अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को व्यवस्थित कहा जाना

कार्यवृत्त

9.01.1 अध्यक्ष महोदय ने सदन को व्यवस्थित बतलाया। अध्यक्ष ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त इनपुट के आधार पर सदन को यह स्पष्ट किया कि ऐसा कहा गया है कि वर्तमान कार्यकारी परिषद की अंतिम बैठक वह होगी, जिसका आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम कार्यकारी परिषद के गठन पर जारी की गई अधिसूचना, दिनांक 10.04.2008 (जैसा कि कथित अधिसूचना लोक अधिकारी क्षेत्र में उपलब्ध है) के तीन वर्षों के पश्चात समाप्ति के पूर्व किया जाएगा । इसपर प्रो0 शिवराज सिंह ने सूचित किया कि बी एच यू सदृश्य कुछ विश्वविद्यालयों में तीन वर्षों की निर्धारित अवधि का अनुसरण अधिसूचना की तारीख की अपेक्षा परिषद की प्रथम बैठक के आयोजन की तारीख से किया जाता है ।

9.01.2 अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि वे इस बिंदु को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ अंतिम प्रस्ताव हेतु उठाएंगें तथा एम एच आर डी से इस विषय पर स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर सदस्यों को सूचित किया जाएगा ।

ई सी : 09:02	निधन सूचना

कार्यसूची टिप्पणी:

9.02.1 निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्तियों की मृत्यु सूचना सदन के समक्ष गहरे शोक के साथ लाई गई:

1. *श्रीमती हीरा देवी वाइबा, एक लोकप्रिय एवं प्रतिष्ठित लोकगायिका*
2. *श्री के. सुब्रमणियम, सुविख्यात रणनीतिकार एवं सुरक्षा विशेषज्ञ*
3. *श्री भीम सेन जोशी, अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रसिद्ध क्लासिकल संगीतकार*

<u>कार्यवृत्त</u>

9.02.1 सदन ने गहरे शोक के साथ रिपोर्ट किए गए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के निधन सूचना को नोट किया, तथा मृत आत्माओं के प्रति सम्मान के रूप में 2 मिनट का मौन धारण किया।

ई सी : 09:03	उप कुलपति द्वारा कार्य निष्पादन उल्लेख

कार्यवृत्त

9.03.1 उपकुलपति नेदिनांक 27.12.2010को आयोजित कार्यकारी परिषद की पिछली बैठक के पश्चात विश्वविद्यालय द्वाराकिए गए कार्यनिष्पादन का उल्लेख करते हुए एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया ।

9.03.2 सदन ने विश्वविद्यालय के कार्यनिष्पादन एवं प्राप्त किए गए मील पत्थरों के उल्लेख के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की । सदस्यों द्वारा प्रक्षेपणों एवं अध्यक्ष द्वारा उनके बहुमूल्य सुझावों/अभियुक्तियों/टिप्पणियों के प्रत्युत्तर बाद के पैराओं में दिए गए हैं ।

9.03.3 श्री बेजबरूआ ने पुछा कि विश्वविद्यालय प्रस्तावित नए पाठ्यक्रमों के लिए वांछित वास्तविक स्थानों के प्रबंधन हेतु क्या योजना बना रहा है ? इस पर अध्यक्ष ने उत्तर दिया विश्वविद्यालय ने नए भवनों को पूर्व में ही चिह्नित किया है तथा संबंधित भूस्वामियों के साथ अस्थायी रूप से अनुबंध को भी अंतिम रूप दिया है । इसने सी पी डब्ल्यू डी के साथ ही चिह्नित भवनों को उचित किराए के निर्धारण हेतु संपर्क किया है । अध्यक्ष ने आगे सूचित किया कि नए चिह्नित भवनों का विवरण भी सदन के समक्ष कार्यसूची मद 9.25 के रूप में रखा गया है ।

9.03.4 श्री बेजबरूआ ने आगे विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों की संख्या के बारे में पूछा। इस पर, अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि वर्तमान में विश्वविद्यालय 18 कार्यक्रमों का संचालन 14 विभिन्न स्कूलों के अंतर्गत कर रहा है ।

9.03.5 प्रो0 आनंदकृष्णन ने भौतिक विज्ञान में एम फिल/पी एच डी की स्थिति के बारे में पूछा, जिस पर अध्यक्ष ने बतलाया कि यह शैक्षणिक वर्ष 2011-12 से आरंभ होगा ।

9.03.6 प्रो0; आनंदकृष्णन ने जानना चाहा कि विश्वविद्यालयद्वारा किसी विशिष्ट विषय हेतु सी डी सी का गठन किस प्रकार करता है । इस पर अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि सी डी सी के गठन का निर्धारण गठित समितियों की आंतरिक बैठकों की एक श्रृंखला द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विशेषज्ञों , व्यवसायिकों, शैक्षणिकों एवं अन्य व्यक्तियों की श्रृंखला उपस्थित हैं तथा सदस्यों की अंतिम सूची ऐसी बैठकों में सर्वाधिक सम्मति से तैयार की जाती है तथ किसी सी डी सी का गठन मनमाने ढंग से नहीं किया जा रहा है । उन्होंने उदाहरण के रूप में उल्लेख किया कि बी बी ए/ एम बी ए पाठ्यक्रम हेतु पाठचर्या के मामले में प्रथम चरण का विचार विमर्श आई आई एम कोलकाता के एक विशेषज्ञ के साथ आयोजित किया गया था, जिसके बाद द्वतीय चरण एक प्रमुख समूह द्वारा हुआ जिसमें प्रथम चरण के विचार-विमर्श के आधार पर आई आठ एम, मद्रास से प्रोफेसरगण, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन संकाय के डीन निजी क्षेत्र के प्रतिनिधिगण एवं अन्य व्यवसायिकों को शामिल किया गया था ।

9.03.7 इस बिंदु पर प्रो0 आनंदकृष्णन ने उल्लेख किया यह एक विशिष्ट एवं अद्वितीय कार्य है तथा सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा नवीनीकृत एक महान दृष्टिकोण है तथा इसे अवश्य ही संस्थाकृत किया जाना चाहिए । उन्होंने आगे कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रकल्पित प्रत्येक पाठ्यक्रम की अपनी विशिष्ट पहचान होनी चाहिए तथा यह किसी की कार्बन प्रतिलिपि न हो । यह उल्लेख किया गया कि सिक्किम विश्वविद्यालय के अतरिक्त उ.पू. क्षेत्र में किसी अन्य विश्वविद्यालय में संगीत में कार्यक्रम नहीं है । यह वांछनीय होगा कि हमारा विश्वविद्यालय पूरे देश से संगीतकारों का एक सम्मेलन प्रत्येक वर्ष बी.म्यूजिक के छात्रों की अभिज्ञता के लिए आयोजित करे । इससे इस क्षेत्र में कई प्रतिमाओं का सृजन होगा ।

9.03.8 अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि विश्वविद्यालय द्वारा इस पर विधिवत् विचार किया जाएगा । उन्होंने आगे कहा कि विश्वविद्यालय का नया कार्यक्रम इथ्नोबॉटनी भी विलक्षण है । इस पाठ्यक्रम का प्रकल्पन भारतीय पादप विज्ञान सर्वेक्षण एवं आई सी ए आर से विशेषज्ञों, इस क्षेत्र के प्रसिद्धवैज्ञानिकों, जे एन यू सदृश्य विश्वविद्यालय से शैक्षणिककर्मियों एवं अन्य व्यवसायिकों को बुलाकर किया गया है । अध्यक्ष ने विवरणिका से लेकर नामाकंन की पूर्ण प्रक्रिया से आरंभ करके नामांकन जांच परीक्षा के परिणाम की घोषणा तक आगे स्पष्ट किया, जिसका कि विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण किया जाता है ।

9.03.9 सदस्यों ने विश्वविद्यालय से छात्रों की आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु सभी आवश्यक प्रयास करने का आग्रह किया, ताकि देश के विभिन्न हिस्से से आने वो छात्रों की आशांए पूरी की जा सके । अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि कैसे छात्रों के लिए छात्रावास, लड़के एवं लड़कियों दोनों के लिए अलग अलग का विकास एवं विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षण किया जा रहा है, तथा कैसे विश्वविद्यालय छात्रों के बीच राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर रहा है।

9.03.10 प्रो0 मृणाल मिरी ने पूछा कि विश्वविद्यालय बी.म्यूजिक पाठ्यक्रम का प्रकल्पन किस प्रकार कर रहा है । अध्यक्ष ने उत्तर दिया कि यद्यपि पाठचर्या की डिजाइनिंग में स्थानिक संगीत संस्थाओं एवं अन्य रचनात्मक कला, स्थानीय लोक संगीत तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के संगीत पर उचित रूप से विचार किया जाता है । उन्होंने यह भी कहा कि इतिहास एवं दर्शन को अवष्य ही पूर्ण रूपेण कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाए । अध्यक्ष यह कहते हुए उत्तर दिया कि 2012 सत्र ऐसा करने की योजना है ।

9.03.11 प्रो0 मधुर स्वामीनाथन ने जानना चाहा कि क्या विश्वविद्यालय अपना नामांकन अच्छे छात्रों को लेने के लिए मध्य जुलाई तक खुला रखेगा । अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि इस सुझाव को विधिवत् ध्यान में रखा जाएगा ।

9.03.12 चर्चा को समाप्त करते हुए, अध्यक्ष ने निकट भविष्य में संकाय सदस्यों की भर्ति हेतु चयन समिति सदस्यों के भाग लेने की सहायता मांगी ।

प्रथम कार्यकारी परिषद की 9वीं बैठक के कार्यवृत्त -20.02.2011 गंगटोक

ई सी : 09:04	कार्यकारी परिषद की दिनांक 27.12.2010को आयोजित पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

कार्यवृत्त

9.04.1 दिनांक 27.12.2010 को आयोजित कार्यकारी समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त कीजो कि कार्यसूची मद के ई.सी IX – 01 के साथ संलग्न है, सदन ने पुष्टि कर ली गई ।

ई सी : 09:05	दिनांक 27.12.2010 को आयोजित कार्यकारी परिषद की पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

कार्यवृत्त

9.05.1 कार्यकारी परिषद की दिनांक 27.12.2017 को आयोजित 8वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट, जो कि कार्यसूची के साथ अनुलग्नक ई.सी 9.02 के रूप में संलग्न है, की सदन द्वारा पुष्टि कर ली गई। ऐसा करते हुए प्रो. सूर्यवंशी ने पूछा कि यांगांग स्थित भू-अर्जन पर सिक्किम के माननीय मुख्य मंत्री को जारी पत्र पर क्या कार्रवाई की गई। अध्यक्ष द्वारा प्राप्त वास्तविक जानकारी स्पष्ट किया गया। सदस्यों ने श्री एस के प्रधान, सिक्किम सरकार के एच आर डी डी से भी भू-अर्जन पर वर्तमान स्थिति के बारे में जानना चाहा। श्री प्रधान से स्पष्ट किया कि सिक्किम सरकार द्वारा विश्विद्यालय को यथाशीघ्र भूमि सौंपने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है । श्री बेजबरूआ ने भी प्रश्न किया कि भूमि अब तक क्यों नहीं सौंपी जा सकी । इस पर श्री एस के प्रधान ने उल्लेख किया कि इसमें कुछ अज्ञात कठिनाईयां हैं । यद्यपि, सरकार ने विश्वविद्यालय को भूमि सौंपे जाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है ।

ई सी : 09:06	पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति

कार्यवृत्त

9.06.1 सदन ने कार्यसूची मद तथा पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति की कार्यवाहियों पर विस्तृत विचार किया तथा सूचीबद्ध नामों का अनुमोदन किया । सदन ने अनुदेश दिया कि विश्वविद्यालय प्रथम सूचीबद्ध अभ्यर्थी, डॉ0 श्रीवास्तव को यथाशीघ्र नियुक्ति प्रस्ताव जारी करे ।

ई सी : 09:07	शिक्षण एवं शैक्षणिक कर्मचारियों की छुट्टी नियमावली

कार्यवृत्त

9.07.1 यह मद आयोजित बैठक में विलंबित अस्थापन था।

ई सी : 09:08	स्पोर्टस इवेंट्स का प्रायोजन

कार्यवृत्त

9.08.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा प्रस्ताव का अनुमोदन किया । सदन ने यह भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय"सिक्किम हाफ मैरेथन" आगामी स्वाधीनता दिवस 15.08.2011 को आयोजित करने पर विचार कर सकता है । इस सुझाव पर अध्यक्ष द्वारा सहर्ष सहमति दी गई ।

ई सी : 09:09	पाठचर्या विकास समिति हेतु विशेषज्ञों के नाम।

कार्यवृत्त

9.09.1 इस कार्यसूची मद पर सदन में मौखिक चर्चा हुई । अध्यक्ष ने सदन को विश्वविद्यालय में पाठचर्या विकास समितियों के गठन के लिए अधिकाधिक विशेषज्ञों के नाम की आवश्यकता को स्पष्ट किया । सदन के सभी सदस्यों ने विश्वविद्यालय के सी डी सी हेतु विशेषज्ञों के नाम सुझाने में अपनी पूरी सहायता देने का वचन दिया । यह कहा गया कि सदस्यगण ईमेल द्वारा विश्वविद्यालय को नाम सुझाएंगे ।

ई सी : 09:10	संबद्ध महाविद्यालयों का निरीक्षण

कार्यवृत्त

9.10.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया । यह अनुभव किया गया कि शैक्षणिक परिषद की अनुशंसाओं के बिना इस मद पर विचार करना अनुचित होगा । तदनुसार, सदन ने इस कार्यसूची मद को शैक्षणिक परिषद के विचारार्थ एवं अनुशंसा हेतु वापस कर दिया ।

9.10.2 इसी समय, सदन ने विश्वविद्यालय के विचारार्थ निम्नलिखित बहुमूल्य सुझाव दिए:

1. कई विश्वविद्यालयों में से संबद्ध संस्थानों, मुख्यत: सरकारी महाविद्यालयों में कम अर्हताप्राप्त शिक्षकों की समान समस्या है, तथा सिक्किम विश्वविद्यालय भी इस कठिनाई से अछुता नहीं है । अत: सरकारी महाविद्यालयों में कम अर्हताप्राप्त शिक्षकों के मुद्दे पर विचार करने के दौरान, विश्वविद्यालय ऐसा दृष्टिकोण रख सकता है, जो कि विभिन्न

महाविद्यालयों के शिक्षण संकायों की अर्हताओं एवं मानकों में अभिवृद्धि हेतु पर्याप्त समयसीमा देता हो । उदाहरणार्थ -

- महाविद्यालयों को प्रदत्त वार्षिक संबद्धन किसी विशिष्ट कार्यक्रम के प्रति संबोधित हो । संबद्धन मानदंड एवं शर्तों की गैरपूर्ति के मामले में संपूर्ण विभाग एवं पाठ्यक्रम इन मानदंडों को पूरा करता हो । यह पाठ्यक्रम वार दृष्टिकोण अधिक प्रभावी होगा ।
- अभिवृद्धि का मुद्दा पाठ्यक्रम वार के आधार पर लिया जाए, तथा इसके उन्हें उचित समय रूप रेखा दी जाए ।
- महाविद्यालयों द्वारा अनुपालनार्थ कड़े एवं समग्र मानदंडों का विकास
- गैर-निष्पादनकारी महाविद्यालयों के लिए दंड/क्रमिक दंड की प्रकृति निम्न हो सकती है :

  - कोई नया नामांकन नहीं
  - छात्र संख्याबल में कटौती
  - नए पाठ्यक्रम की गैर-संस्तुति

- सदन ने सिक्किम सरकार से सदस्य के साथ कारण जानना चाहा कि महाविद्यालय तदर्थ आधार पर संचालित होने की अपेक्षा नियमित आधार पर शिक्षण पदों को क्यों नहीं भरा जाता है । श्री एस के प्रधान ने कहा कि अधिकतम विलंब का कारण सिक्किम लोक सेवा आयोग में औपचारिकताओं एवं प्रक्रिया में देरी है । इस पर प्रो0 मृणाल मिरी ने सुझाव दिया कि एच आर डी डी इस समस्या का उल्लेख एस पी सी सी के साथ् कर सकता है, तथा नियमित आधार पर शिक्षण पदों को भरे जाने के लिए अंतर्वाता आदि हेतु उन्हें एक निश्चित समय सीमा दी जा सकती है । इस बिंदु पर अध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया उल्लेख किया कि कई अंतर्प्रतिक्रिया कार्य एवं महाविद्यालय भ्रमण तथा मिडिया ब्रिफिंग के माध्यम से सिक्किम विश्वविद्यालय का सतत् सुग्राहीकरण तथा महाविद्यालय स्तरीय संस्थानों एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर्स में सशक्त सुधार के बार में सिक्किम सरकार के प्रति अपील के के कारण, सिक्किम सरकार द्वारा अब राज्य में महाविद्यालयों को विशाल निधि प्रदान किया जा रहा है । एस पी एस सी के अध्यक्ष द्वारा भी सिक्किम विश्वविद्यालय में अनुसरण की जा रही चयन प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगी गई है, ताकि इसे एस पी एस सी द्वारा की जा रही भर्तियों के अंगीकृत किया जा सके । यद्यपि, यह उल्लेख किया गया कि जब तक कि एच आर ठी डी द्वारा भर्ति हेतु मानदंड में छुट नहीं दी जाती है, विशेषकर यह कि सिर्फ स्थानीय अभ्यर्थियों की भर्ति की जाए, सरकार के लिए खाली पदों को भरने के लिए उचित अभ्यर्थियों को प्राप्त करना कठिन होगा । सदन की यह राय थी कि एक अर्हता प्राप्त अच्छा शिक्षक ,

कहीं से भी भर्ति किया गया हो, कक्षा शिक्षण में कहीं अधिक सुधार ला सकता है तथा कई युवा मस्तिष्क को प्रेरित कर सकता है ।

ई सी : 09:11	वी सी बंगलों हेतु विद्युत प्रभारें

कार्यवृत्त

9.11.1 सदन ने इस कार्यसूची मद पर विचार एवं अनुमोदन किया ।

ई सी : 09:12	शून्य सेमेस्टर मामले

कार्यवृत्त

9.12.1 सदन ने उल्लेख किया कि इसने इनके समक्ष कार्यसूची मद में प्रस्तुत तथ्यों का परीक्षण किया है । यद्यपि, चूंकि इस विषय पर शैक्षणिक परिषद को विचार करना है, अत: सदन ने इसे शैक्षणिक परिषद के विचारार्थ एवं अनुशंसा हेतु वापस करने का निर्णय लिया।

ई सी : 09:13	विनायक मिशन सिक्किम विश्वविद्यालय

कार्यवृत्त

8.13.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद पर विस्तृत विचार किया । सदन ने इस विषय पर विस्तार से चर्चा किया । सदन ने निर्णय लिया कि फिलहाल विनायक मिशन सिक्किम विश्वविद्यालय के विरूद्ध नाम के अतिक्रमण के कारण कोई एफ आई आर दर्ज न की जाए । चर्चा के अंत में सदन ने निर्णय लिया कि इस संदिग्धता से बचने के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय का नाम सिक्किम केंद्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित किया जा सकता है । सदन के इस निर्णय को विश्वविद्यालय द्वारा तदनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ अगली आवश्यक कार्रवाई हेतु उठाया जाए ।

9.13.2 सिक्किम सरकार के वर्ष 2008 के विधायी अधिनियम द्वारा विनायक मिशन सिक्किम विश्वविद्यालय को दिए गए संबद्धन की स्थिति का उल्लेख करते हुए प्रो0 आनंदकृष्णन ने कहा कि यह संसदीय अधिनियम को उच्छेदित करने जैसा है, जिसके द्वारा सिर्फ सिक्किम विश्वविद्यालय को सिक्किम में अवस्थित महाविद्यालय को संबद्धन देने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय यू जी सी को सूचित कर सकता है कि विनायक मिशन सिक्किम विश्वविद्यालय जैसा किसी संस्थान को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धार 2 (एफ) के अंतर्गत मान्यता क्यों दिया गया है, क्योंकि यह एक ऐसी मान्यता के लिए निर्धारित कई मानदंडो को पूरा नहीं करता है । यह कार्रवाई एम एच आर डी के नाम परिवर्तन के लिए लिखे जा

रहे पत्र के अतिरिक्त की जाए । प्रो0 मृणाल मिरी एवं श्री बेजबरूआ ने भी इस सुझाव के प्रति सहमति व्यक्त किया ।

ई सी : 09:14	शिक्षण पदों को नियमित आधार पर भरा जाना

कार्यवृत्त

9.14.1 सदन ने अनुलग्नक में उल्लेखित सिक्किम विश्वविद्यालय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया, जिनमें शिक्षण पदों का वर्तमान एवं प्रस्तावित विभागों दोनों के लिए उल्लेख किया गया था, तथा विश्वविद्यालय को इस संबंध में आगे की कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत किया ।

ई सी : 09:15	सिक्किम विश्वविद्यालय का प्रथम वर्षपंचक

कार्यवृत्त

9.15.1 सदन ने इस कार्यसूची मद पर विस्तृत विचार किया । सदस्यों की राय थी कि यह डाक्युमेंट्री वास्तव में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना का एक प्रकरण अध्ययन हो सकता है । इस पर श्री बेजबरूआ ने सुझाव दिया कि सिक्किम विश्वविद्यालय के प्रथम लस्ट्रम पर डिजिट डाक्यूमेंट्री बनाने के दौरान, विश्वविद्यालय एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की समस्याओं पर विस्तृत विवरण दे सकता है । यह अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी एक प्रमुख ऐतिहासिक दस्तावेज हो सकता है, जिन्हें स्थापित किया जा रहा है अथवा स्थापित किया जाएगा । प्रो0 आनंदकृष्णन ने सुझाव दिया कि ऐसे डाक्यूमेंट्री को माड्यूल रूप में होना चाहिए, जिसमें विश्वविद्यालय का प्रत्येक कार्यात्मक क्षेत्र व्याप्त हो, तथा उल्लेख किया कि उपकुलपति को वैयक्तिक विवरण एवं अनभव ऐसी डाक्युमेंट्री फिल्मों के लिए महत्वूपर्ण होंगे ।

9.15.2 उपरोक्त सुझावों के साथ सदन ने कार्यसूची मद का अनुमोदन किया ।

ई सी : 09:16	विभिन्न आगन्तुक पदों की नियुक्ति एवं इनके लिए आमंत्रण

कार्यवृत्त

9.16.1 सदन ने कार्यसूची मदपर विचार किया । यह राय व्यक्त किया गया कि चूंकि एडजंक्ट प्रोफेसर, विजिटिंग फेलो, विजिटिंग स्कॉलर, अतिथि संकाय एवं आगन्तुक संकाय की नियुक्ति पर एक अलग अध्यादेश सदन द्वारा अनुमोदित किया गया है, अत: सदन यह अनुभव करता है किसी व्यक्तिगत अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है । उपकुलति ऐसे नामों का प्रस्ताव कर सकते हैं, तथा ऐसे विद्वानों एवं विशेषज्ञों, विभिन्न पदों पर व्यवसायिकों को विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार आमंत्रित कर सकते हैं । इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब विश्वविद्यालय अपने निर्माण के बहुत

आरंभिक अवस्था में होती है, यह सुझाव दिया गया कि इस मुद्दे को शैक्षणिक परिषद के समक्ष उनकी अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए ।

समूह - II संपुष्टि अपेक्षित मदें

ई सी : 09:17	शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति/त्यागपत्र (नियमित एवं संविदाजन्य

कार्यवृत्त

9.17.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद की संपुष्टि की ।

ई सी : 09:18	रजिस्ट्रार एवं परीक्षा नियंत्रक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाना ।

कार्यवृत्त

9.18.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद की संपुष्टि की ।

समूह - IIIसूचनार्थ रिपोर्ट की गई मदें

ई सी : 09:19	रजिस्ट्रार के पद (प्रथम रजिस्ट्रार के शेष कार्यकाल हेतु) के प्रति नियुक्ति

कार्यवृत्त

9.19.1 सदन ने इनके समक्ष कार्यसूची मद को नोट किया तथा विश्वविद्यालय को तद्नुसार आगे कार्रवाई करने का अनुदेश दिया ।

ई सी : 09:20	राहुल गांधी के साथ अनुभवों की साझेदारी करना ।

कार्यवृत्त

9.20.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद को नोट किया ।

ई सी : 09:21	यू के विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों का भ्रमण

कार्यवृत्त

8.21.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद को नोट किया । सदस्यगण पर्याप्त रूप से हर्षित थे कि यू के से ग्लासगो एवं शेफिल्ड हेलम विश्वविद्यालयों के उच्च स्तरीय कार्मिकगण ने सिक्किम विश्वविद्यालय का भ्रमण किया तथा छात्रों, संकाय सदस्यों एवं प्रबंधन दल के साथ अंतरंग बातचीत किया । इस प्रकार का कार्य इस नए विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय निर्माण के संकटकालीन क्षेत्र में एक दृढ़ स्थान दिलाने में अत्यंत प्रभावी होगा । (चर्चा के दौरान प्रो0 आनंदकृष्णन ने उल्लेख किया कि शिक्षा हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम एक विस्तृत विचार है । उपकुलपति की कार्य शैली एक कार्य अथवा एक संस्थान में अच्दी हो सकती है, वहीं अन्य विश्वविद्यालयों में उनका कार्यनिष्पादन समान से अच्छा नहीं भी हो सकता । इसका अर्थ है कि किसी उपकुलपति के पास काफी विस्तृत विजन हो तथा शैक्षणिक एवं प्रबंधकीय दोनों प्रकार के विकास हेतु दक्षता हो । उन्होंने आगे सलाह दिया कि भारत में यू के अनुभवों का प्रत्यारोपन सदैव सफल ही हो, आवश्यक नहीं है । यद्यपि विश्वविद्यालय पश्चिमी विश्वविद्यालयों के सर्वोत्तम कार्याभ्यासों एवं अच्छे अनुभवों का स्वांगीकरण एवं अवशोषण कर सकता है, तथा उन्हें भारतीय परिस्थितियों में उचित रूप से अनुकूलित कर अंगीकार किया जा सकता है । पश्चिमी के उपकुलपतियों द्वारा इस प्रकार के भ्रमण उपरोक्त दिशा में उपयोगी होंगे ।

ई सी : 09:22	हर्कमाया महाविद्यालय की नामांकन क्षमता में वृद्धि - एम एड पाठ्यक्रम।

कार्यवृत्त

9.22.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया । यह नोट किया गया कि यदि विनियामक निकाय किन्हीं बातों की अनुमति देता है, तो संबद्धनकारी संस्थानों को सामान्यत: इसे स्वीकार करना चाहिए जब तक कि संबद्धनकारी संस्थान द्वारा महाविद्यालय में विनियामक निकाय के आदेशों को कार्यान्वित करने में कोई प्रमुख कमियां नहीं पाठ जाती है । ऐसे मामले में इन कमियों का उचित रूप से दस्तावेजन एवं प्रमाणन किया जाना चाहिए ।

ई सी : 09:23	विभिन्न पदों हेतु विज्ञापन-शिक्षण एवं गैर शिक्षण

कार्यवृत्त

9.23.1 सदन ने विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न शिक्षण, गैर शिक्षण एवं कार्याकालिक पदों के विज्ञापन के संबंध में किए गए प्रस्ताव को नोट किया । सदन ने राजभाषा हेतु निम्नलिखित पदों के लिए अनुमोदन एवं स्वीकृति भी प्रदान किया:

i. हिंदी अधिकारी (1 पद)

ii. हिंदी अनुवादक (1 पद)
iii. हिंदी टंकक (1 पद)

9.23.2 सदन ने विश्वविद्यालय को उपरोक्त तीन पदों के लिए उचित गैर पारम्परिक पदनाम पूर्व में स्वीकृत गैर शिक्षण पदों के मामले में किए गए के अनुरूप गढ़ने का सुझाव दिया ।

ई सी : 09:24	मानसून 2010 परिणामों का विश्लेषण

कार्यवृत्त

9.24.1 सदन ने कार्यसूची मद पर विचार किया तथा न सिर्फ परीक्षा की अंतिम तारीख से 19 दिनों के अंतर्गत परिणामों की घोषणा, अपितु महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तरीय कुछ सेमेस्टरों के परिणामों के समग्र विश्लेषण के लिए भी अपनी प्रशंसा अभिलेखित किया ।

ई सी : 09:25	नए भवनों को किराए पर लिए जाने की स्थिति

कार्यवृत्त

9.25.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद को नोट किया तथा विश्वविद्यालय को गतिविधियों को तेज रफ्तार में रखने का निर्देश दिया, ताकि अगले सेमेस्टर के आरंभ होने के पूर्व भवनें एवं ईंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो सके । श्री बेजबरूआ ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को सभी भवनों में अनुरक्षण, रख रखाव एवं कैटरिंग कार्यों का आउटसोर्स करना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को प्रबंधित करना विश्वविद्यालय के लिए उपलबध कम मानव संसाधनों के कारण बहुत कठिन होगा ।

ई सी : 09:26	स्वीकृत संख्यालि एवं पदस्थापित कर्मचारियों की स्थिति

कार्यवृत्त

8.26.1 सदन नेकार्यसूची मद पर विचार किया। सदन ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को भविष्य में प्रत्येक कैडर में रिक्ति हेतु कारणों (जैसे कि विजिटर) द्वारा नामिनी के अभाव में, आदि) का उल्लेख करना चाहिए । इसी प्रकार, जहां कहीं भी स्वीकृति के ऊपर सीमांत अधिकता हो, विश्वविद्यालय को अभ्युक्ति के तौर पर कारणों का उल्लेख करना चाहिए ।

ई सी : 09:27	सिक्किम विश्वविद्यालय हेतु आई एस ओ 9001 प्रमाणन

कार्यवृत्त

9.27.1 सदन ने इनके समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची मद पर विचार किया एवं इसे नोट किया ।

ई सी : 09:28	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य कोई विषय।

कार्यवृत्त

9.28.1 यह निर्णय लिया गया कि कार्यकारी परिषद की अगली एवं अंतिम बैठक अप्रैल 2011 के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा ।

ह0
(पी वी रवि)
वित्त अधिकारी
कार्यकारी परिषद के प्रति सचिव एवं
कार्य. रजिस्ट्रार